तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.51/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस [illegible] की तामिलमे जारी हुए
08.12.2021	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (हीरालाल प्रजापत पुत्र श्री चेनाराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– पुराना स्टेण्ड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, महादेव किराणा स्टोर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (महेन्द्र सिंह परमार पुत्र श्री मोहनसिंह परमार, निवासी– सादडी रोड, अम्बिका नगर, मुण्डारा, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता फर्म, नीलम इन्टरप्राईजेज, अम्बिका नगर, मुण्डार, जिला– पाली) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 ने अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या–1 (हीरालाल प्रजापत) द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि ग्राम कालन्द्री के बस स्टेण्ड पर स्थित फर्म महोदव किराणा स्टोर का संचालन करता हूँ व फर्म का मालिक हूँ। वह एक फुटकर व्यापारी है एवं निर्माताओं व थोक विक्रेताओं से सामान खरीद कर बेचने का कार्य करता हूँ। प्रश्नगत आचार (कच्ची केरी)(नीलम ब्राण्ड) के निर्माता अभियुक्त संख्या–2 है। मैं प्रार्थी निर्माता से पैक अचार खरीदकर बेचने का कार्य करता हूँ एवं मेरे द्वारा खरीदे हुए किसी भी सामान की पैकिंग, वजन, कीमत के साथ कोई छेडछाड नही की जाती है एवं जैसा सामान खरीदा गया है उसे वैसे ही बेचने का कार्य करता हूँ। यह प्रथम बार है जब मुझ प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा मानक कानून के अर्न्तगत अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी कम पढा लिखा व्यक्ति है व खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून की जानकारी नही है। मुझ प्रार्थी का यह प्रथम अपराध है एवं न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 (महेन्द्र सिंह परमार) द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि मुझ प्रार्थी द्वारा नीलम ब्राण्ड कच्ची कैरी का निर्माण व नियमानुसार विक्रय किया जा रहा है। मिसब्राण्ड अचार कच्ची कैरी नीलम ब्राण्ड गलत बताया गया है उक्त कच्ची कैरी का अचार सही है किसी प्रकार से मिलावट नही है। उक्त नीलम कच्ची कैरी अचार के पैकट पर कुछ लेबल पर मात्र टंकन भूल की वजह से केवल पिन कोड व **Ingredients** में विधि के शब्द कुछ लेबल पर रह गये थे, परन्तु कच्ची कैरी अचार में किसी प्रकार की मिलावट नही है। केवल मात्र टंकन मिसटेक होने के कारण मिसब्राण्ड का मुकदमा दर्ज किया गया है। उक्त टंकन भूल को भी तुरन्त सुधार दिया था। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 30.11.2021 को उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर गलती/अपराध स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादीगण की दिन[illegible]2021 को ही बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण ने बहस [illegible] से प्रस्तुत जवाब में ......लगातार	

प्रति. जिला परिषद्
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.51/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह उनका प्रथम अपराध है, इसलिये कम से कम जुर्माना किये जाने का अनुरोध किया। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.3.2021 को सायं 5.15 पी.एम. पर फर्म महोदव किराणा स्टोर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से हीरालाल पुत्र चेनाराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– पुराना स्टेण्ड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले। जो आम जनता को अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता हीरालाल प्रजापत को भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) के 8 पैक्ड जारों (प्रत्येक 500 ग्राम) में से 4 पैकड जार (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 360/– (रुपये तीन सौ साठ मात्र) विक्रेता हीरालाल प्रजापत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1389, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीदशुदा अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) के चारों पैक्ड जारों पर एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की जिस पर विक्रेता, [illegible] व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में [illegible] VI की प्रतियां तैयार की व उस [illegible] काम में ली गई सील की छाप [illegible] के चारों भागों के साथ ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:09 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिवक्ता
सिरोही-307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.51/2021**

फार्म नम्बर **VI** की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर **VI** की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.3.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म महोदव किराणा स्टोर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता हीरालाल प्रजापत से खाद्य पदार्थ अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) के नमूना संख्या **S-1389** की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: **L.S./257/Act/2021/355** दिनांक 08.4.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (**Misbranded**) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हीरालाल प्रजापत की फर्म महादेव किराणा स्टोर, कालन्द्री द्वारा खाद्य पदार्थ अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) के 500–500 ग्राम के पैक्ड जारों को प्रतिवादी महेन्द्र सिंह परमार की फर्म नीलम इन्टरप्राईजेज, अम्बिका नगर, मुण्डारा, जिला– पाली से बिल/इनवोईस नम्बर 1749 दिनांक 05.3.2021 के द्वारा क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी हीरालाल प्रजापत ने मिथ्याछाप (**Misbranded**) खाद्य पदार्थ अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) का विक्रय करके एवं प्रतिवादी महेन्द्र सिंह परमार की फर्म ने मिथ्याछाप (**Misbranded**) खाद्य पदार्थ अचार (कच्ची कैरी)(नीलम ब्राण्ड) का निर्माण, [illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 2[illegible] धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो [illegible] जाने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य [illegible]कार की अधिसूचना क्रमांक

......लगातार

सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.51/2021**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी हीरालाल प्रजापत पुत्र श्री चेनाराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– पुराना स्टेण्ड, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, महादेव किराणा स्टोर, विवेकानन्द सर्कल, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है एवं प्रतिवादी महेन्द्र सिंह परमार पुत्र श्री मोहन सिंह परमार, निवासी– सादडी रोड, अम्बिका नगर, मुण्डारा, जिला– पाली, खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक, निर्माता फर्म नीलम इन्टरप्राईजेज, अम्बिका नगर, मुण्डारा, जिला– पाली पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादीगण हीरालाल प्रजापत व महेन्द्र सिंह परमार को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05.1.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:09 IST
Reason: SelfAttested